केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/291 दिनांक: 11.10.2017

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00283
CICOM/R/2017/00992

अपीलकर्ता : श्री विजय कुमार सिंह,
ग्राम व पो0 - वैदपुर, भाया - तारापुर,
थाना - शंभूगंज, जिला - बांका,
बिहार - 813221.
मो0 - 8090829996.

निर्णय की तारीख : 11.10.2017

| | |
|---|---|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि | 04.08.2017 |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि | 18.08.2017 |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी | श्री कृष्ण अवतार तलवार |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि | 26.09.2017 |
| आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि | FAA/391/06.10.2017 (169348/04.10.2017) |

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 04.08.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से बिहार राज्य सूचना आयोग द्वारा दिनांक 12.09.2014 को केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित पत्र के संबंध में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट नहीं होने पर प्रथम अपील दाखिल किया गया है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा प्रदान की गई सूचना कि उक्त पत्र केन्द्रीय रजिस्ट्री के नवीकरण के दौरान अन्य पत्रों/दस्तावेजों के साथ मिश्रित हो जाने के कारण नहीं ढूढां जा सका है । साथ ही श्री तलवार ने अपीलकर्ता से उक्त दस्तावेज की प्रति भी उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया था ताकि उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके । अपीलकर्ता ने श्री तलवार द्वारा प्रदान की गई सूचना के संदर्भ में दिनांक 29.08.2017 को वांछित दस्तावेजों की प्रति भी आयोग को प्रेषित कर दी है । अपीलकर्ता को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा प्रेषित दस्तावेज अपील सं. CIC/MOWRC/A/2017/162014 के तहत पंजीकृत कर लिया गया है एवं सुनवाई हेतु श्रीमती मंजुला पराशर, सूचना आयुक्त की रजिस्ट्री को अग्रसारित कर दिया गया है । इस संबंध में श्री आर. एल. गुप्ता, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-एम.पी. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि चूंकि अपीलकर्ता का उक्त द्वितीय अपील सं. CIC/MOWRC/A/2017/162014 से संबंधित मूल दस्तावेज वर्ष 2014 में ही है जो कि आयोग को प्रेषित की गई थी, जिसे किसी अन्य दस्तावेज के साथ मिश्रित हो जाने के कारण अपीलकर्ता द्वारा पुन: उक्त अपील की प्रति आयोग को उपलब्ध करववाई गई है । अत: उक्त द्वितीय अपील को प्राथमिकता देते हुए सुनवाई पर विचार किया जाए ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, अत: प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न दस रु0 का भारतीय पोस्टल आर्डर सं. 38 एफ 634120 अपीलकर्ता को वापस किया जाता है ।

संलग्नक - दस रु0 का भारतीय पोस्टल आर्डर सं. 38 एफ 634120

C./के० सू० आ०
RECEIVED
12 OCT 2017
D. No.........
Initials

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, ~~आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना~~ आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री आर. एल. गुप्ता, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-एम.पी. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।